

अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक

दिनांक 30.08.2018 के कार्यवाही बिन्दु

1. पंचम नगर-गोपालपुरा माइक्रो सिंचाई प्रणाली (मेसर्स मंटेना कंसट्रक्शन):- निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री राजू द्वारा साजली बांध के समीप 1500 हेक्टर का अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र उपलब्ध होने एवं 20 हेक्टर तक की डिजाईन/ड्राईंग के अनुमोदन प्राप्त होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि अनुबंध के तहत 1500 हेक्टर अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र निर्मित करने एवं अतिरिक्त विद्युत भार स्वीकृत किये जाने की कार्रवाई मुख्य अभियंता, सागर उनके स्तर पर करें।
 - 1.1 वैकल्पिक राजस्व भूमि का वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही दिनांक 05.09.18 तक एवं विभागीय अधिकारियों के परामर्श से मासिक कार्य योजना तैयार कर परियोजना का संपूर्ण कार्य दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण किया जाए।
 - 1.2 सहभागी किसानों के साथ बैठक कर प्रत्येक 20 हेक्टर चक पर समूह प्रतिनिधि का चयन सर्वसम्मति से किया जाए।
2. साजली माइक्रो सिंचाई प्रणाली (मेसर्स मंटेना कंसट्रक्शन):- निर्माण एजेंसी द्वारा 30 हेक्टर चक तक की संपूर्ण डिजाईन-ड्राईंग के अनुमोदन प्राप्त होने की जानकारी दी। निर्देश दिये गये कि परियोजना का सम्पूर्ण कार्य दि. 30.11.19 तक पूर्ण करें।
 - 2.1 पंचमनगर एवं साजली का सैच्य क्षेत्र सटा होने, रखरखाव एवं अमले पर होने वाले आवृत्ती व्यय में बचत करने की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं का संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित कराएं।
3. ओर नहर परियोजना (मेसर्स मैक्स मंटेना जे.व्ही):- निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री राजू द्वारा मुख्य नहर के अलाइनमेंट के अनुमोदन, 300 हेक्टर तक के चक की प्लानिंग एवं कमाण्ड एरिया के सत्यापित होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि :-
 - (i) अधीक्षण यंत्री दिनांक 07.09.2018 तक मुख्य नहर के लिए आवश्यक भूमि हेतु अनिवार्य अर्जन की धारा 11 एवं आपसी सहमति से कय के प्रपत्र-क का प्रकाशन समानांतर रूप से कराये।
 - (ii) परियोजना संचालक 52 किमी लंबी खुली नहर के 15 किमी लंबाई में भूमि का आधिपत्य दिनांक 05.09.18 तक निर्माण एजेंसी को सौंपे ताकि दिनांक 10.09.18 से खुदाई कार्य प्रारंभ हो सके।

Renni

4. **माही परियोजना (मेसर्स मंटेना कंसट्रक्शन) :-** मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि 5550 हेक्टर में कार्य पूर्ण है एवं 4000 हेक्टर सैच्य क्षेत्र में औसतन 7.5 हेक्टर के 1322 कृषक समूहों का गठन किया जा चुका है। निर्देश दिए गए कि परियोजना अंतर्गत समस्त कार्य दिनांक 31.10.18 तक पूर्ण कराकर दिनांक 30.11.18 तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
5. **बानसुजारा प्रेशराईज्ड पाइप प्रणाली (मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो):-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने लगभग 73 किमी एमएस एवं 500 किमी एचडीपीई पाइप लाइन के शेष होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि दिनांक 31.10.18 तक ओएमएस की स्थापना सहित 48000 हेक्टर सैच्य क्षेत्र निर्मित करें।
6. **कुण्डलिया बॉयी तट वितरण प्रणाली (मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो):-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने अलाइनमेंट के अनुमोदन एवं कमाण्ड एरिया के सत्यापित होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि दिनांक 07.09.2018 तक राईजिंग मेन के लिए आवश्यक भूमि के अर्जन हेतु धारा 11 एवं आपसी सहमति से कय का प्रपत्र-क का प्रकाशन समानांतर रूप से कराएं।
7. **कुण्डलिया दॉयी तट वितरण प्रणाली (मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो):-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने सर्वेक्षण कार्य के प्रारंभ करने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि दिनांक 10.09.2018 तक राईजिंग मेन के लिए आवश्यक भूमि के अर्जन हेतु धारा 11 एवं आपसी सहमति से कय का प्रपत्र-क का प्रकाशन समानांतर रूप से कराएं।
8. **मोहनपुरा एल.बी.सी. (मेसर्स जैन इरिगेशन) :-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने रूपांकित 92500 हेक्टर में से 7125 हेक्टर के सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी। संपूर्ण परियोजना का डिजाईन एवं ले आऊट एक साथ आवश्यक है। टुकड़ों में स्वीकार्य नहीं है। निर्देश दिए गए कि दिनांक 10.09.18 तक 300 हेक्टर चक तक के लिए संपूर्ण डिजाईन/ड्राईंग का अनुमोदन प्राप्त करें। निर्माण एजेंसी को अनुबंध के प्रावधानों के तहत सचेत किया जाए।
9. **शामगढ़ सुवासरा (मेसर्स ऑफसोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुंबई) :-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री एम.बी. चौहान द्वारा पाइप फैक्ट्री के लिए भूमि तय कर लेने, अलाइनमेंट के अंतिम होने, विलेज मैप पर सैच्य क्षेत्र इंड्राज करने एवं रूपांकित 80000 हेक्टर के स्थान पर 92000 हेक्टर सैच्य क्षेत्र उपलब्ध होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि पाइप फैक्ट्री दिनांक 15.09.2018 तक स्थापित कर दिनांक 30.09.18 से पाइप का विनिर्माण प्रारंभ किया जाए। दिनांक 10.09.18 तक 300 हेक्टर चक तक के लिए संपूर्ण डिजाईन/ड्राईंग का अनुमोदन प्राप्त करें।

Rumi

- 9.1 परियोजना संचालक सैच्य क्षेत्र का सत्यापन कर अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र नियत करें। राईजिंग मेन के लिए पाईपलाईन एवं डक्ट अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक 23 हेक्टर भूमि की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 05.09.18 तक कराए।
10. **गरोठ माइक्रो (ऑफसोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मुंबई) :-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री एम.बी. चौहान ने रूपा प्रणाली के 6400 हेक्टर के पूर्ण होने एवं गरोठ प्रणाली के 15000 हेक्टर सैच्य क्षेत्र को दिनांक 30.11.18 को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। निर्देश दिए गए कि गरोठ प्रणाली में दिनांक 15.11.18 तक 5000 हेक्टर एवं दिनांक 30.11.18 तक शेष 10000 हेक्टर सैच्य क्षेत्र निर्मित करें। दिनांक 30.11.18 तक 21400 हेक्टर पूर्ण सैच्य क्षेत्र विकसित न होने की स्थिति में अनुबंधानुसार रखरखाव एवं संचालन की अवधि रबी 2019-20 से प्रारंभ होगी।
11. **मोहनपुरा आर.बी.सी. (मेसर्स ऑफसोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुंबई) :-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा औसतन 20 हेक्टर चक पर 1189 कृषक समूहों का गठन किये जाने की जानकारी दी। दिनांक 31.10.18 तक 8000 हेक्टर एवं दिनांक 31.12.18 तक शेष 18555 हेक्टर सैच्य क्षेत्र निर्मित करें।
12. **चंदेरी माइक्रो सिंचाई प्रणाली (मेसर्स एएनएस-सारथी जे.व्ही.) :-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री अशोक भारद्वाज ने द्वारा 30 हेक्टर चक तक के लिए संपूर्ण डिजाईन/ड्राईंग परियोजना प्रबंधक इकाई कार्यालय में जमा कराने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि डिजाईन ड्राईंग अंतिम कराकर दिनांक 10.09.18 तक अनुमोदित की जाए। राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन के लिए पाईपलाईन एवं डक्ट अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक भूमि की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 10.09.18 तक कराए। परियोजना के अंतर्गत समस्त कार्य दिनांक 30.11.19 तक का लक्ष्य नियत किया जाए।
13. **ओर बांध परियोजना (मेसर्स सारथी कंसट्रक्शन-एएनएस जे.व्ही.) :-** अधीक्षण यंत्री द्वारा 5 ग्रामों के अवार्ड पारित होने एवं 02 ग्रामों के अवार्ड दिनांक 05.09.18 तक पारित होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि सहमति के प्रकरणों में भूमि का क्रय किया जाए और भूमि क्रय अथवा अर्जन की समस्त कार्यवाही दिनांक 30.09.18 तक पूर्ण की जाए। ओर बांध को दिनांक 31.05.19 तक क्रेस्ट लेवल एवं 31.01.20 तक गेट स्थापित कर पूर्ण करने का लक्ष्य नियत किया गया।
14. **नईगढ़ी-1 एवं नईगढ़ी-2 सूक्ष्म प्रेशराईज्ड प्रणाली (मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, नोएडा):-** नईगढ़ी-1 एवं 2 की डिजाईन एवं लेआउट मुख्य अभियंता, रीवा द्वारा उपयुक्त पाये जाने बाबत अवगत कराया गया है। दोनो परियोजनाएँ 25,000-25,000 हेक्टर की है। समीक्षा में पाया गया कि बहुती नहर के आर.डी. कि.मी. 52.80 के आसपास लगभग 3400 हेक्टर एवं अंत में लगभग 7100 हेक्टर भूमि सिंचाई से छूट रही है। पाया गया कि इस क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से बहुती मुख्य नहर की निर्मित क्षमता से सिंचाई की जाना संभव है। अनुबंध में अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई

देने के लिए प्रावधान नहीं है। विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, बोधी, मुख्य अभियंता, रीवा एवं निर्माण एजेंसी बैठक कर-

1. दोनो अनुबंधों में सैच्य क्षेत्र एवं पाईप लाईन का ले-आउट इस प्रकार तैयार करें कि जो क्षेत्र सिंचाई से छूटे, वह बहुती नहर के प्रारंभ, मध्य अथवा अंत में एक ही जगह रहे।
2. परीक्षण किया जाए कि सिंचाई से छूट रहा लगभग 10,500 हेक्टर क्षेत्र बहुती नहर के प्रारंभ में अथवा मध्य में अथवा अंत में छोड़कर उसकी पृथक निविदा आमंत्रित करने पर कौन सा प्रस्ताव शासन के लिए किफायती रहेगा।
3. दोनों परियोजनाओं की निर्माण एजेंसी एक ही होने का लाभ लेते हुए दोनों के लिए कार्यों का रूपांकन, तकनीकी अवयव एवं नियमन संयुक्त रूप से किया जाए ताकि पंप हाऊस, विद्युत एवं परियोजनाओं के संचालन/संधारण में होने वाले आवर्ती व्यय में युक्तियुक्त कमी लाई जा सके।

उपरोक्तानुसार प्रमुख अभियंता उनके स्तर की तकनीकी समिति की बैठक में यथोचित निर्णय लेकर परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्र एवं लेऑऊट निर्धारित करते हुए उक्तानुसार शेष क्षेत्र की पृथक डीपीआर बनाकर स्वीकृति लेकर निविदा जारी कराए।

अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्माण एजेंसी को सर्वे लेऑऊट आदि के लिए देय राशि में से फिलहाल 50 प्रतिशत राशि ही जारी की जाए। शेष राशि Rising main pipe बिछाने के साथ जारी की जाए।

15. रामनगर सूक्ष्म सूक्ष्म प्रेशराइज्ड प्रणाली (मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, नोएडा) :- निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने परियोजना की संपूर्ण डिजाईन/ड्राईंग मुख्य अभियंता, रीवा कार्यालय में परीक्षणाधीन होने एवं 23310 हेक्टर सैच्य क्षेत्र सत्यापित होने की जानकारी दी। निर्देश दिये गये कि परियोजना के समस्त डिजाईन/ड्राईंग का अनुमोदन दिनांक 31.08.18 तक प्राप्त करें।
16. मोहनपुरा एल.बी.सी. विस्तार (मेसर्स पीसीआईपीएल एंड व्हीटीएल) :- निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री मनीष गुप्ता ने परियोजना की समस्त डिजाईन/ड्राईंग परियोजना संचालक कार्यालय में परीक्षणाधीन होने, रूपांकित 16000 हेक्टर सैच्य क्षेत्र के स्थान पर 16900 हेक्टर सैच्य क्षेत्र उपलब्ध होने एवं एप्रोच चैनल की खुदाई पूर्ण करने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि 16900 हेक्टर सैच्य क्षेत्र के लिए समस्त डिजाईन/ड्राईंग का अनुमोदन दिनांक 05.09.18 तक प्राप्त करें। राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन के लिए पाईपलाईन एवं डक्ट अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक भूमि की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 05.09.18 तक कराए। अनुबंध अंतर्गत समस्त कार्य दिनांक 30.06.2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य नियत किया गया।

Shweta

17. **हिरवार माइक्रो (मेसर्स फलोदी कंसट्रक्शंस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., इंदौर) :-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री मनीष गुप्ता ने पंप हाउस एवं राईजिंग मेन के अलाइनमेंट का अनुमोदन प्राप्त होने एवं अन्य घटकों की डिजाईन/ड्राइंग मुख्य अभियंता, रीवा कार्यालय में परीक्षाधीन होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि परियोजना के शेष घटकों की डिजाईन/ड्राइंग का अनुमोदन दिनांक 10.09.18 तक प्राप्त करें। राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन के लिए पाईपलाईन एवं डक्ट अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक भूमि की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 15.09.18 तक कराए।
18. **पारसडोह (मेसर्स करन डेवलपर्स सर्विस प्रा.लि. ग्वालियर) :-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री करन सिंह ने 300 हेक्टर चक तक के लिए समस्त डिजाईन/ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त होने एवं रूपांकित 17785 हेक्टर के स्थान पर 19611 सैच्य क्षेत्र उपलब्ध होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन के लिए पाईपलाईन एवं डक्ट अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक भूमि की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 05.09.18 तक कराए। अनुबंध अंतर्गत समस्त कार्य दिनांक 30.11.19 तक पूर्ण करने का लक्ष्य नियत किया गया।
- 18.1 दिनांक 30.09.18 तक परियोजना का पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
19. **जमुनिया माइक्रो (मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कंसट्रक्शन प्रा.लि.,रीवा) :-** निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि श्री विजय कुमार मिश्रा द्वारा परियोजना के अंतर्गत समस्त डिजाईन/ड्राइंग के अनुमोदन प्राप्त होने की जानकारी दी। अनुबंध अंतर्गत समस्त कार्य दिनांक 30.06.19 तक पूर्ण करने का लक्ष्य नियत किया गया।
20. **रूंज परियोजना (मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो):-** मुख्य अभियंता, सागर ने वनभूमि की द्वितीय चरण की स्वीकृति का प्रकरण नई दिल्ली में, भू-अर्जन पूर्ण होने एवं बांध के GAD के परीक्षाधीन होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि दिनांक 05.09.18 तक बांध का अलाइनमेंट एवं GAD का अनुमोदन करें। दिनांक 25.09.18 से बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए गए। परियोजना अंतर्गत समस्त कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य नियत किया गया।
21. **त्योथर टनल (मेसर्स कोस्टल प्रोजेक्टस लि0) -** निर्माण एजेंसी प्रतिनिधि श्री एम.एस. राजू द्वारा टनल में लाइनिंग कार्य शेष होने की जानकारी दी। निर्देशित किया गया कि टनल लाइनिंग का संपूर्ण कार्य दिनांक 31.12.18 तक पूर्ण किया जाए। तत्पश्चात् ही रबी सिंचाई हेतु जल प्रवाहित करने के निर्देश दिए गए।
22. **त्योथर बहाव सिंचाई प्रणाली (मेसर्स मंटेना इन्फ्रास्ट्रक्चर) -** ठेकेदार प्रतिनिधि श्री एम. एस. राजू द्वारा महाना वितरिका प्रणाली लगभग पूर्ण होने एवं कुल 27500 हेक्टर सैच्य क्षेत्र निर्मित होने की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि महाना वितरिका के हैंडिंग

Ravi

ओव्हर-टेकिंग ओव्हर के पश्चात् ही जनवरी 2019 से रबी सिंचाई की जाए। परियोजना अंतर्गत समस्त कार्य दिनांक 30.06.19 तक पूर्ण करने का लक्ष्य नियत किया गया। अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र के लिए भू-अर्जन की धारा-19 का प्रकाशन दिनांक 31.10.18 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

Ravi 10/9/18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क. 2-11 | E-fendling | 2018 | 4379-A

भोपाल, दिनांक 10.09.2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
 2. मुख्य अभियन्ता, बोधी जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
 3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद ।
 4. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा ।
 5. मुख्य अभियन्ता, वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी ।
 6. मुख्य अभियन्ता, नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर ।
 7. मुख्य अभियन्ता, राजघाट नहर परियोजना, जल संसाधन विभाग, दतिया ।
 8. मुख्य अभियन्ता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर ।
 9. मुख्य अभियन्ता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर ।
 10. परियोजना संचालक, मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना प्रबंधन इकाई, राजगढ़ ।
 11. अधीक्षण यंत्री, ----- मध्य प्रदेश ।
 12. कार्यपालन यंत्री, ----- मध्य प्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
13. बैव मैनेजर, विश्व बैंक परियोजना, भोपाल की ओर बेव साइट में प्रदर्शित करने के हेतु ।

Ramkrishna 10/09/18
 (राजीव कुमार सुकलीकर)
 प्रमुख अभियन्ता,
 जल संसाधन विभाग, भोपाल